न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–18/2021

1. काशीराम पुत्र चेतराम जाति खाती
2. दयालराम पुत्र लालचन्द जाति जाट
3. लाधुराम पुत्र भादरराम जाति खाती
4. सोहनलाल पुत्र नानकराम जाति कुम्हार
5. खेतपाल पुत्र महावीर जाति जाट
6. जसवन्तराम पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट
7. चिमनाराम पुत्र देवीलाल जाति जाट
8. प्रवीण कुमार पुत्र राकेश कुमार जाति जाट
   निवासीगण 4 आर टी एम तहसील अनूपगढ
9. फिरोज खान पुत्र मोहम्मद आमीन जाति मुसलमान
10. अनवर खान पुत्र हाजी खां जाति मुसलमान
    निवासीगण 71 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

––– प्रार्थीगण

बनाम्

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व एंव भू अभिलेख) अनूपगढ़

–––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य) शर्ते–1955

::निर्णय:: **दिनांक–01/04/22**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 आर.टी.एम. से चक 2 आर.टी.एम. की मुख्य सड़क तक पत्थर सं. –255/426 के किला नं.–1,10,11,20,21 एवं किला नं.–21 ता25 में एवं पत्थर सं. –256/425,257/425,258/425,259/425,260/425 के किला नं.–21ता25 में मौके पर गत 20 वर्षो से स्वीकृतशुदा रास्ता चल रहा है इस रास्ता पर सामान्यजन एवं चक 4 आरटीएम ,71 जीबी व अन्य गांवों के निवासीगण गत 20 वर्षों से लगातार मौके पर आवागमन कर रहे है और इस रास्ता के द्वारा ही चक 4 आर.टी.एम, 71 जी.बी. के गांव मुख्य सड़क 2 आर.टी.एम. से जुड़े हुए है। उक्त मौके पर चल रहे कच्चे रास्ते में से चक 4 आरटीएम के पत्थर संख्या–255/426, मुरब्बा नं.–7 के किला नं.–1,10,11,20,21 आगे मुड़कर किला नं.–21,22,23,24,25 में राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता चक 4 आर.टी.एम. के पत्थर संख्या–255/426 मुरब्बा नं.–7 के किला नं. –1,10,11,20,21 आगे मुड़कर किला नं.–21,22,23,24,25 प्रत्येक में 2 बिस्वा चौड़ा सामान्य जनता एवं चक 4 आर.टी.एम. चक 2 आर.टी.ए., चक 71 जी.बी. व अन्य चकों के आमजन व निवासियों के लिए रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाना चाहते है जो जनहित एवं सामान्य जनता के लिए स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। संबंधित ग्राम पंचायत 74 जी.बी. में उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रस्ताव रखा गया है जिस पर सहमति और ध्वनिमत से अनुमोदन किया गया है। प्रार्थीगण ने श्रीमान् तहसीलदार साहब से दो रोज पूर्व चक 4 आर. टी.एम., के पत्थर संख्या–255/426, मुरब्बा नं.–7 के किला नं.–1,10,11,20,21 आगे मुड़कर किला नं.–21,22,23,24,25 प्रत्येक में 2 बिस्वा चौड़ा स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन

के लिए निवेदन किया तो उन्होंने श्रीमान् जी से उक्त आमजन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए कहा, इसलिए प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रकरण दर्ज किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा रास्ता स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार कर मय नजरी नक्शा व जमाबन्दी की प्रतियॉ इस न्यायालय में प्रस्तुत की, जिनका अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ चक 4 आरटीएम के पत्थर नं.–259/426 का 25 बीघा रकबा में आबादी बसी है। इस आबादी को रामसिंहपुर कमरानियॉ डामर लिंक रोड को जोड़ने हेतु उस तरफ कोई रास्ता/सड़क नही है। आबादी भूमि पत्थर सं.–259/426 के किला नं.–5 के कार्नर के चिपता एक रास्ता जो कि चक 5 आरटीएम के पत्थर नं.–258/425,257/425,256/425 प्रत्येक के किला नं. –21ता25 में स्वीकृतशुदा होते हुए गुजरता है इससे आगे चलने पर सड़क तक एक मुरब्बा पत्थर नं.–255/425 (चक 4 आर.टी.एम.) पड़ता है जिसमें कोई रास्ता नहीं है। उक्त पत्थर के नीचे चिपता पत्थर नं.–255/426 के किला नं.–1,2,9ता13,17ता25 रकबाराज है। ग्रामवासियों द्वारा उक्त पत्थर नं.–255/426 के किला नं.–1,10,11,20,21 व 21,22,23,24,25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रस्तावित रास्ता से संबंधित रकबा के संबंध में कोई न्यायिक/वाद विचाराधीन नही है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 4 आरटीएम के पत्थर संख्या–255/426, मुरब्बा नं. –7 के किला नं.–1,10,11,20,21 आगे मुड़कर किला नं.–21,22,23,24,25 में राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता चक 4 आर.टी.एम. के पत्थर संख्या–255/426 मुरब्बा नं.–7 के किला नं.–1,10,11,20,21 आगे मुड़कर किला नं. –21,22,23,24,25 प्रत्येक में 2 बिस्वा चौड़ा सामान्य जनता एवं चक 4 आर.टी.एम. चक 2 आर.टी.ए., चक 71 जी.बी. व अन्य चकों के आमजन व निवासियों के लिए रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाना चाहते है।चक 4 आर.टी.एम. च चक 71 जीबी के निवासीगण एवं आमजन है अतः जनसामान्य को सुविधाओं के मध्यनजर रकबा राज भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। आमजन व संबंधित ग्राम के निवासीयों के आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही होने के मध्यनजर चक 4 आर.टी.एम. के पत्थर संख्या–255/426 मुरब्बा नं.–7 के किला नं.–1,10,11,20,21 आगे मुड़कर किला नं. –21,22,23,24,25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त 8(2) के अनुसार सरकार या सामान्य जनता के लिये रास्ते के अधिकार के सृजन या आरक्षित करने के अधिकार का प्रावधान अधिसूचना एफ 4 (5)उपनि/2006 दिनांक 11.05.2012 के अन्तर्गत आमजन की सुविधा के मध्यनजर चक 4 आर.टी.एम. के पत्थर संख्या–255/426 मुरब्बा नं.–7 के किला नं.–1,10,11,20,21 आगे मुड़कर किला नं.–21,22,23,24,25 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ रास्ते का रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक–01/04/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़